न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 144/2016

1 श्रीमती विमला देवी आयु 65 स्त्री स्व. दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कैडिया चौरास्ता एचनम्बर 212 रामेश्वर धाम मुरलीपुरा जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 रमेशचन्द्र आयु 54 साल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 17 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 मु. संतोष आयु 60 साल स्त्री द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 मु. विमला आयु 57 साल स्त्री पूर्णमल जाति ब्राह्मण निवासी सधीनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
4 मु माया आयु 57 वर्ष स्त्री राजकुमार जाति ब्राह्मण निवासी थेलासर तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
5 नगरपालिका मण्डावा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
6 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016
एसडीओ झुन्झुनू कुमारी सुनीता चौधरी उनवानी
रमेशचन्द्र बनाम श्रीमती विमला देवी वगैरह वाके
मुकदमा नम्बर 225/2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 225/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1611 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विधि अनुसार साबित करना पड़ता है, वह प्रतिवादी की कमजोरी का फायदा नहीं ले सकता है वादी को अपना हक अधिकार व दावा विधि अनुसार साबित करना पड़ता है विधि को दोनों पक्षो की सहमति भी नहीं बदल सकती है। इस प्रकार राजीनामें का आधार लेकर व हड़ताल में एक पक्षीय कार्यवाही करके विधि विरूद्ध उक्त दावा डिक्री किया है। प्रश्नगत भूमि पैत्रिक है विरासतन के इन्तकाल से अधिकार प्राप्त हुये है क्यो किसी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किसी सम्पति में अधिकार प्राप्त हो गये और वह लिखकर दे दे कि प्रतिवादी का दावा डिक्री कर दिया जावे तो क्या इस प्रक्रिया से खातेदारी किसी खातेदार की समाप्त करके किसी खातेदार को दी जा सकती है क्या ऐसा कोई कानून व विधि नहीं है, किसी के अधिकार समाप्त ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही समाप्त किये जा सकते है या किसी को दिये जा सकते है, ना ही किसी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसके अधिकार समाप्त होते है। वादी को अपना वाद स्वयं की दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना पड़ता है। जो कही पर भी किसी भी रूप में साबित नहीं है। विचारण न्यायालय ने कोई किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की साक्ष्य की विवेचना नहीं की है यहां तक दर्ज नहीं किया है कि वादी ने क्या दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश की और वह कैसे, किस प्रकार से वादी का दावा साबित करती है, कही कोई विवेचना, रिजन दर्ज नहीं किया है। विचारण न्यायालय के अधिकारी के विरूद्ध अभिभाषक ने हड़ताल कर रखी थी और आपस में मिक्सअप होकर दिनांक 28.04.2016 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे है। वादी उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 अनुपस्थित, जिनकी जवाबदेही बन्द की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी नम्बर 6 की ओर से भी जवाब पेश किया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाता पत्रावली नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर वादी व उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा नियत चल रही थी। विचाराधीन निर्णय की दिनांक को विचारण न्यायालय ने अपीलांट को अनुपस्थित दर्ज करते हुए उसी दिन जवाब देही बंद कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित नहीं किये है। विचारण न्यायालय ने वादी की साक्ष्य प्राप्त नहीं की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर